डाक पंजीयन सं. आर.जे./जे.पी.सी./मन्थली–08/2010–12 RNI - 65127/94

सहकार समाचार बुलेटिन

वर्ष : 17 अंक : 1 वार्षिक :100 रु एक प्रति : 10 रु सितम्बर, 2010

रबी में काश्तकारों को 3063 करोड़ रु. के फसली सहकारी ऋण वितरण का कार्यक्रम

राज्य के किसानों को रबी में 3063 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में 5 लाख नए काश्तकारों सहित 21 लाख किसानों को इस वर्ष 5 हजार करोड़ रुपए के फसली सहकारी कर्जे उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उन्होंने बजट घोषणा में नए काश्तकारों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों को राज्य बजट से 30 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की घोषणा की।

राज्य सरकार ने पहली बार सहकारी बैंकों को नए काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण वितरित करने के लिए ब्याज अनुदान की राशि उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की पहल से पहली बार रेकार्ड फसली सहकारी ऋण वितरण संभव हो सकेगा।

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि खरीफ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा लगभग 6 लाख नए काश्तकारों सहित 16 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ रु. के फसली सहकारी ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गये साल में लगभग 3200 करोड़ रुपए के फसली सहकारी कर्जे वितरित किए गए थे।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि इस वर्ष रबी में 9 लाख काश्तकारों

शेष पृष्ठ 2 पर...

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सिविल लाइन्स स्थित अपने निवास से सहकारी जनप्रतिनिधियों के अध्ययन दल को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

सहकारी आंदोलन की मजबूती के लिए अधिकारी टीम भावना से काम करें - रजिस्ट्रार श्री मेहरा

अनुशासनहीनता किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने सहकारी अधिकारियों से टीम भावना से काम करते हुए राज्य के सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि यही सहकारिता आंदोलन की मूल भावना है।

शेष पृष्ठ 2 पर...

सहकारी बिक्री केन्द्रों पर उपहार एगमार्क मसालों की उपलब्धता के निर्देश

प्रदेशवासियों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता संघ के उपहार एगमार्क मसाले सभी उपहार सहकार सुपर मार्केट, मिनी सुपर मार्केट, जिला उपभोक्ता भण्डारों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रसद विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा मारे जा रहे छापों में बाजार में मिल रहे मिलावटी मसाले सीधे आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आम नागरिकों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता संघ को शुद्ध सहकारी मसालो की उपलब्धता बढ़ाने को कहा गया है। शुद्ध मसालें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले के साथ ही संभागीय सहकार मसाला मेलों का आयोजन किया जाता है।

प्रदेशवासियों के लिए शुद्ध मसालों के लिए उपभोक्ता संघ में मसाला पिसाई इकाई लगाई गई है, जहां उपभोक्ता संघ के एगमार्क मसाले तैयार किये जाते हैं। उपभोक्ता संघ द्वारा तैयार मिर्च, धनिया, हल्दी, गरममसाला, अमचूर आदि मसाले 200 ग्राम, 500 ग्राम और एक किलो के पैक में उपलब्ध है।

सहकारिता विभाग द्वारा सहकार मसाला मेलों का आयोजन शुद्ध के लिए युद्ध उद्देश्य से ही किया जाता है और शुद्ध पिसे हुए मसाले उपलब्ध कराने के लिए उपहार ब्रॉण्ड मसालों का उत्पादन व विपणन किया जा रहा है।

पृष्ठ 1 का शेष....

रबी में काश्तकारों को 3063 करोड़.....

को 3063 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को फसली सहकारी ऋण वितरण के लक्ष्य जारी कर दिए हैं।

श्री मेहरा ने बताया कि यह पहला अवसर है, जब फसली सहकारी ऋण वितरण के माहवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जारी लक्ष्यों के अनुसार सितम्बर माह में 453 करोड़ रु., अक्टूबर में 467 करोड़ रु., नवंबर में 592 करोड़ रु., दिसम्बर में 842 करोड़ रु., जनवरी 11 में 464 करोड़ रु., फरवरी 11 में 161 करोड़ रु. व मार्च 11 में 82 करोड़ रु. से अधिक के फसली सहकारी ऋण वितरण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

श्री मेहरा ने कहा कि काश्तकारों को उनकी मांग के अनुसार फसली सहकारी ऋण वितरण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक श्री आर.सी.एस. जोधा ने बताया कि सभी बैंकों को लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यकता होने पर अभियान चलाकर ऋण वितरित किए जा सकते हैं।

सहकारी आंदोलन की मजबूती.....

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रेम सिंह मेहरा ने 3 सितम्बर को नेहरु सहकार भवन में रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों की अनौपचारिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग व सहकारी संस्थाएं सीधे आमजन से जुड़े हुए हैं और विभाग व संस्थाओं के अधिकारी संवेदनशीलता, सामूहिक दायित्व व निष्ठा के साथ काम करते हुए ग्रामीणों, काश्तकारों, दस्तकारों, युवाओं व महिलाओं सहित जरुरतमंद लोगों के आर्थिक विकास में भागीदार बन सकते हैं।

श्री मेहरा ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर जोर दिया और सहकारी अधिकारियों व कर्मचारियों से समयबद्ध, अनुशासन, निष्ठा व ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री सोमदत्त ने सहकारिता विभाग व सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों की ओर से विश्वास दिलाया कि सहकारी अधिकारी सहकार भावना से काम करते हुए सहकारी आंदोलन को और अधिक गतिशील बनाने का प्रयास करेंगे।

बैठक में रजिस्ट्रार श्री मेहरा ने विभागीय अधिकारियों से परिचय व गतिविधियों की सामान्य जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विभाग के अनुभागों का दौरा कर जायजा लिया।

गौरतलब है कि सहकारी रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा इससे पहले आयुक्त सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग, प्रबन्ध संचालक रोड़वेज, शासन सचिव गृह एवं वन, वाणिज्य कर आयुक्त, उदयपुर, श्रीगंगानगर व धौलपुर के जिला कलक्टर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वय सुश्री लक्ष्मी बैरवा, श्री सोमदत्त, तकनीकी सहायक श्री विजय कुमार, उपरजिस्ट्रार प्रशासन श्री संजय माथुर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वैशाली अरबन बैंक व उदयपुर भण्डार में प्रशासक बदले

सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जयपुर के वैशाली अरबन कोऑपरेटिव बैंक में श्री अशोक जोशी संयुक्त रजिस्ट्रार एवं अतिरिक्त निदेशक राइसम को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उदयपुर के जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में अतिरिक्त पंजीयक सहकारी समितियां श्री अनिल उबेराय को प्रशासक नियुक्त किया है।

अपेक्स बैंक की आमसभा में लाभांश की घोषणा

सहकारी क्षेत्र में होंगे दो एटीएम, 3 नई शाखाएं-प्रमख सचिव सहकारिता

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक श्री आर.के. मीणा ने घोषणा की है कि राज्य सहकारी बैंक जयपुर शहर में इसी वर्ष दो एटीएम शुरु करेगा। प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए सहकारी क्षेत्र में पायलेट आधार पर स्वर्णाभूषण की प्रतिभूति के विरुद्ध गोल्ड लोन सुविधा शुरु की जाएगी।

श्री मीणा ने राज्य सहकारी बैंक की 53 वीं वार्षिक साधारण सभा वर्ष 2008-09 को संबोधित करते हुए कहा कि अपेक्स बैंक निरन्तर लाभ में काम करते हुए प्रदेश के किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008-09 में विश्वव्यापी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बेहतर प्रबन्धन करते हुए 16 करोड़ 40 लाख रुपए के लाभ में रहा है। उन्होंने नाबार्ड द्वारा निर्देशित अधिकतम लाभांश सीमा में 5.72 प्रतिशत की दर से सदस्यों को लाभांश की घोषणा की। भावी कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बैंक को तीन नई शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक से लाईसेंस प्राप्त हो गया है।

श्री मीणा ने बताया कि किसानों को केवल 7 प्रतिशत पर फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में आ रहे उतार-चढ़ाव, कर्मचारियों को नए वेतनमान, नकद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट में की गई भारी कमी के बावजूद बैंक ने किसानों सहित प्रदेशवासियों को बेहतर सहकारी बैंकिंग सेवाएं दी, जिससे बैंक ने हिस्सा राशि, कार्यशील पूंजी, ऋण वितरण, जमाओं आदि सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास दर अर्जित की। उन्होंने बताया कि बैंक की अनुत्पादक अस्तियों का स्तर घटकर 1.91 प्रतिशत रह गया है तथा बैंक के शुद्ध एनपीए बट्टा खाता ऋण कोष में पर्याप्त प्रावधानों के कारण शून्य हो गया है।

श्री आर.के. मीणा ने बताया कि देश भर में ऋण राहत के दावे की राशि सबसे पहले प्राप्त करने वाला प्रदेश राजस्थान ही रहा है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों को ऋण माफी में 571 करोड़ 76 लाख रुपए व ऋण राहत में 363 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। यहां तक की ऋण माफी के देरी से भुगतान पर राज्य ने केन्द्र से 84 लाख 37 हजार का ब्याज तक प्राप्त किया है।

श्री मीणा ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक की सभी 13 शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण करते हुए एनीव्हेयर बैंकिंग सुविधा शुरु कर दी है। अब रील के सहयोग से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग साफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है, जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित कनेक्टिविटि का होगा, जिससे पूरा अल्पकालीन सहकारी साख ढ़ांचा कोर बैंकिंग सुविधा से जुड़ सकेगा। इससे सहकारी बैंकों में एनीव्हेयर बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, सुविधा से युक्त हो सकेगा।

सहकारी समितियों के तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बजट घोषणा की क्रियान्विति में 6 लाख नए काश्तकारों को सहकारी ऋण सुविधा से जोड़ने के लिए बधाई देते हुए बताया कि अब तक 16 लाख काश्तकारों को 30 अरब से अधिक के फसली सहकारी ऋण दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पहली बार नए किसानों को ऋण वितरण के लिए 30 करोड़ रु. का ब्याज सबवेंसन दिया है।

श्री शर्मा ने बताया कि वैद्यनाथन प्रावधानों के बाद अब सहकारी बैंकों के प्रबंधकीय दक्षता से संचालन की निर्वाचित अध्यक्षों की अधिक जिम्मेदारी हो गई है।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.सी.एस. जोधा ने बताया कि फसली सहकारी ऋण वितरण के लिए राज्य बैंक द्वारा 1650 करोड़ रुपए एवं कृषि-अकृषि निवेश योजना में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 09 को अपेक्स बैंक की जमाओं का स्तर 30 फीसदी की विकास दर के साथ 1987 करोड़ से अधिक हो गया है। बैंक की हिस्सा राशि बढ़कर 57 करोड़ 82 लाख रूपए, कार्यशील पूंजी 3670 करोड़ 67 लाख रूपए हो गई है।

आमसभा में सहकारी बैंकों के अध्यक्षों ने व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, अपेक्स बैंक के चुनाव कराने, चुनाव से पहले तक तीन माह में एक बार अध्यक्षों की बैठक बुलाने, प्रतिवर्ष आमसभा के आयोजन और सहकारी बैंकों से संबंधित आदेशों/परिपत्रों की पुस्तिका के प्रकाशन का सुझाव दिया। आमसभा में वर्ष 2008-09 के अंकेक्षित लेखों व वर्ष 2010-11 के कार्यक्रमों का अनुमोदन किया गया।

सहकारिता विभाग में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति

सहकारिता विभाग ने एक आदेश जारी कर लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है।

आदेशों के अनुसार सहकारिता विभाग में राज्य लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के अतिरिक्त संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर व उदयपुर, समस्त खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार एवं विशेष लेखा परीक्षक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।

आमसभा में सदस्यों को लाभांश की घोषणा

उपभोक्ता संघ के जयपुर में पांच उपहार सुपर मार्केट शीघ्र

सहकारी समितियों के तत्कालीन रजिस्ट्रार एवं प्रशासक उपभोक्ता संघ श्री मुकेश शर्मा ने बताया है कि उपभोक्ता संघ जयपुर शहर में पांच नए उपहार सुपर मार्केट शुरु करेगा।

श्री शर्मा ने यह जानकारी उपभोक्ता संघ की 25 वीं वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में मालवीय नगर, विद्याधर नगर, प्रताप नगर, राजापार्क और झोटवाड़ा में नए उपहार सुपर मार्केट शुरु किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी उपभोक्ता संघ द्वारा जयपुर शहर में 11 उपहार सुपर मार्केट/बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सहकारी उपभोक्ता सेवाएं एवं 81 उपहार दवा बिक्री केन्द्रों से दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री शर्मा ने वर्ष 2008–09 के लिए राज्य सरकार सहित सदस्यों को 3 प्रतिशत की दर से लाभांश देने की घोषणा करते हुए बताया कि उपभोक्ता संघ निरन्तर लाभ में काम कर रहा है। इस साल उपभोक्ता संघ द्वारा 100 करोड़ (एक अरब) रुपए की सहकारी उपभोक्ता व मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 25 लाख रु. की लागत से आरपीए परिसर में सुपर मार्केट बनाने का कार्यक्रम है। सहकारी क्षेत्र में 42 जनौषधि केन्द्र, 370 उपहार मिनी सुपर मार्केट खुल गए हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्टॉकिस्टशिप लेकर होलसेल दरों पर राज्य के जिला भण्डारों व क्रय–विक्रय सहकारी समितियों से सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। एलेम्बिक और रेपटाकोस जैसी प्रतिष्ठित दवा कम्पनियों की डिस्ट्रीब्यूटशिप उपभोक्ता संघ को प्राप्त हो गई है।

उपभोक्ता संघ के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री आर.एस. जाखड़ ने बताया कि 181 सदस्यीय उपभोक्ता संघ ने वर्ष 2008–09 में 99 करोड़ 52 लाख रुपए का कारोबार कर 91 लाख रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सेवाओं को सुव्यवस्थित, सुचारु एवं पारदर्शी बनाते हुए उपभोक्ता संघ के मुख्य अनुभागों सहित सभी 11 बिक्री केन्द्रों/ सुपर मार्केटों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

श्री जाखड़ ने बताया कि पैंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों एवं आमनागरिकों की सुविधा के लिए सहकारी दवा बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि, नवीनीकरण, कम्प्यूटरीकरण, छाया–पानी की व्यवस्था, कर्मचारियों के व्यवहार में बदलाव व ड्रेस कोड जैसी सुविधा शुरु कर कारपोरेट लुक दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिटेल मैनेजमेंट पर सॉफ्टवेयर तैयार कराकर उपलब्ध कराया गया है और इसका सफलतापर्वूक संचालन हो रहा है।

आम सभा में प्रस्ताव पारित कर सदस्यों ने उपभोक्ता संघ के प्रबन्ध संचालक श्री आर.एस. जाखड़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन पर बधाई एवं विभाग द्वारा संचालक मण्डल को अधिकार संपन्न बनाने पर बधाई व आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। महाप्रबन्धक श्री मुकुन्द सिंह ने आभार व्यक्त किया। आमसभा में अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन एवं भावी कार्यक्रमों की पुष्टि की गई।

सहकारिता विभाग में विधान सभा के लंबित प्रकरण शून्य

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा ने सहकारिता विभाग द्वारा सभी विधान सभा प्रश्नों एवं आश्वासनों का समय पर उत्तर भिजवाने और विधान सभा के लंबित प्रकरण शून्य होने पर विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना की है।

श्री मीणा ने रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में भविष्य में इसी भावना से कार्य करते हुए विधान सभा प्रकरणों की त्वरित निस्तारणता बनाए रखने को कहा है।

सहकारी समितियों में एक लाख टन यूरिया

इफको,कृभको,आईपीएल की 12 रेक यूरिया की विशेष व्यवस्था काश्तकारों को लगभग एक टन यूरिया उपलब्ध करा दिया है, वहीं इफको, कृभको के साथ ही राजफैड के समन्वय से आईपीएल एवं आरसीएफ द्वारा यूरिया की 12 रेक की अगस्त माह में व्यवस्था की गई।

सहकारी समिति स्तर पर समुचित यूरिया की उपलब्धता होने के साथ ही यदि किसी क्षेत्र विशेष में यूरिया की अधिक मांग देखी जाती है तो वहां क्रय-विक्रय सहकारी समितियां इफको,कृभको के साथ ही चंबल,श्रीराम व आरसीएफ से खरीद कर काश्तकारों को यूरिया उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।

इफको द्वारा अगस्त माह में ही करीब 20 हजार टन यूरिया मंगवाने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से कृभको द्वारा चित्तौडगढ़ के चन्देरिया, अलवर के भगत की कोठी, जोधपुर में एक-एक रेक यूरिया की व्यवस्था की। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में सड़क मार्ग से 800 टन यूरिया मंगवाया गया। आईपीएल द्वारा चन्देरिया व कनकपुरा तथा आरसीएफ द्वारा कनकपुरा व कोटा में यूरिया की एक-एक रेक मंगवाई गई। राजफैड द्वारा आईपीएल, आरसीएफ एवं जीएनवीएफसी की दरें अनुमोदित करते हुए 31 जुलाई तक 16 हजार 500 टन यूरिया मंगवा कर सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया है। इसी तरह से इफको ने जुलाई के अंत तक 49 हजार 758 टन एवं कृभको ने 30 हजार टन यूरिया सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया है। सहकारिता विभाग व राजफैड द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में यूरिया सहित उर्वरकों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की गई।

सहकारिता एवं कृषि विभाग की 55 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना

दलहन तिलहन को बढ़ावा, किसानों को सुलभ होंगे गाँव में ही कृषि उपकरण, खेती होगी आसान

राज्य में दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़ाने व किसानों को सहकारी आधार पर गाँव में ही कृषि उपयोग के आधुनिकतम कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता एवं कृषि विभाग द्वारा लगभग 55 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना का संचालन किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत गाँव में ही किसानों को बेहतर आधुनिकतम कृषि उपकरणों की सहज उपलब्धता बनाने के लिए चयनित ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें मुख्यत: ट्रेक्टर, पॉवर स्प्रे गन विद टेंक, फीट डीगर आदि खरीद कर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्षेत्र के किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति से निर्धारित नाममात्र की दर पर इन उपकरणों की सेवाएं लेकर खेती में उन्नत तकनीक के प्रयोग के साथ ही कृषि पैदावार में बढ़ोतरी कर सकेंगे।

इस के लिए पहले चरण में राज्य में 110 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का चयन होगा। यह चयन क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार कलस्टर के रूप में 5 से 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समूह में किया जाएगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति में कृषि उपकरण उपलब्ध रहेंगे और काश्तकार अपनी जरुरत के समय इन्हें ग्राम सेवा सहकारी समिति से ले सकेंगे। 110 समितियों का चयन कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति करेगी। चयनित समितियों को उनके क्षेत्र में उपयोग के कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य में दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर देने का निर्णय किया गया है। आगामी रबी में ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों को सरसों-चना आदि के उन्नत व प्रमाणिक बीजों के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम का संचालन कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपलब्ध राशि में से वहन किया जाएगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति तक किसानों की सीधी पहुंच होने से सहकारिता के माध्यम से इसका संचालन होगा व कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा परियोजना की क्रियान्विति की समीक्षा की जाएगी।

सहकारिता विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने पर नीलामी/कुड़की होगी-सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सहकारी बैंकों के कर्जे नहीं चुकाने वाले ऋणियों से सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि ऋण नहीं चुकाने वाले ऋणियों की परिसम्पत्तियों पर नीलामी के बोर्ड लगाए जाए तथा दोषी ऋणियों के फोटो सहित समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाए जावे।

श्री मीणा 10 अगस्त को सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा एवं तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा के साथ सहकारी बैंकों, इकाई अधिकारियों के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। वीसी के माध्यम से रुबरु होते हुए सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने 20 प्रतिशत से कम सहकारी ऋणों की वसूली करने वाले बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक में अच्छी वसूली हो सकती है तो अन्य बैंकों में अच्छी वसूली क्यों नहीं हो सकती ? उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों का पैसा किसानों व आमजन का पैसा है, चाहे दोषी ऋणी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जानबूझकर कर्जा नहीं चुकाने वालों से कर्जों की वसूली के लिए नीलामी/कुड़की जैसे अप्रिय कदम उठाने होंगे।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा की शतप्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन, स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी बैंक खोलने को कहा। उन्होंने वीसी के दिन भी कुछ बैंकों के प्रबंध संचालकों एवं सचिवों के अवकाश पर रहने को गंभीरता से लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण के निर्देश दिए। भविष्य में वीसी के दिन अवकाश के लिए रजिस्ट्रार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने स्वयं सहायता समूहों को इस वर्ष 150 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की चर्चा करते हुए कहा कि आगामी वीसी तक लक्ष्य की 50 प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जावे। उन्होंने बताया कि कम वसूली वाली पीएलडीबी में वसूली के सहयोग के लिए राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी जाएगी।

श्री मीणा ने बताया कि विभाग ने 100 लेम्प्स के गठन की स्वीकृति जारी कर दी है। अब संबंधित जिलों के अधिकारी इनके गठन, सदस्यता व ऋण वितरण का कार्य आरंभ करे। नए जिलों की समग्र सहकारी विकास परियोजना की रिपोर्ट राइसम द्वारा तैयार कर ली गई है। अब संबंधित जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा , ताकि सरकार व एनसीडीसी से समय रहते परियोजना स्वीकृत कराकर इसी वर्ष आरंभ की जा सके।

तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 11 तक अवधिपार सहकारी ऋणों की वसूली पर जोर दिया जाए , ताकि चालू वसूली स्वतः जमा हो सके। उन्होंने व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के बाद भी आदेश जारी नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह में नियमितीकरण आदेश जारी करने को कहा।

श्री शर्मा ने नई जीएसएस एवं केवीएसएस का सक्षमता के आधार पर गठन पर जोर दिया। रिद्धि-सिद्धि योजना में चयनित शेष रही समितियों को शीघ्र कृषि एवं जिला रसद अधिकारी से लाईसेंस जारी कराकर प्रथम किश्त की राशि जारी करने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम शुरु कराने के निर्देश दिए। भविष्य में खरीफ के लिए ऋण 30 जून तक काश्तकारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें बीमा योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक में राजफैड के प्रबंध संचालक श्री विकास एस. भाले ने डीएपी की उपलब्धता की जानकारी दी। उपभोक्ता संघ के तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री आर.एस. जाखड़ ने लेवी चीनी का शीघ्र उठाव करने और पीएफ की राशि के दावे उपभोक्ता संघ को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में उपशासन सचिव श्री महेश गुप्ता, अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वय सुश्री लक्ष्मी बैरवा एवं श्री सोमदत्त, प्रबंध संचालकों में अपेक्स बैंक के श्री आर.सी.एस. जोधा, भूमि विकास बैंक की श्रीमती मंजरी भांती व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश दिए।

भूमि विकास बैंकों की ऋण राहत योजना लागू

अवधिपार बकाया ऋणों के दोषी सदस्यों को ऋण चुकाने का अवसर-सहकारिता मंत्री

मृत ऋणी सदस्यों के वारिसों को भी राहत

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार बकाया ऋणों के चुकारे की ऋण राहत समझौता योजना की घोषणा की है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों के कृषि एवं अकृषि बकाया अवधिपार ऋणों पर लागू होगी। गौरतलब है कि राज्य में 36 भूमि विकास बैंक कार्यरत है।

श्री मीणा ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं, औद्योगिक मंदी एवं अन्य विषम परिस्थितियों के कारण सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋण नहीं चुका पाने वाले ऋणी सदस्य समझौता योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य अवधिपार बकाया ऋणों के दोषी सदस्यों को बकाया राशि जमा कराने का अवसर प्रदान कर पुनः सहकारी साख व्यवस्था से जोड़ना है। इससे सहकारी भूमि विकास बैंकों की अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में घोषित गैरनिष्पादित आस्तियों में कमी लाई जा सकेगी।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने बताया कि किसी भी व्यवसाय, गतिविधियों या उद्देश्यों के लिए भूमि विकास बैंकों से लिए गए कृषि व अकृषि ऋण, जो 31 मार्च, 2010 को अशोध्य व संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत हो गए हो, उन्हें इस एकमुश्त ऋण राहत समझौता योजना के तहत राहत प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गबन, दुरुपयोग के दर्ज प्रकरणों में इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। इसी तरह से ऐसे ऋण जिनकी वसूली कड़ी बन्धित उदाहरणार्थ वेतनभोगी को ऋण एवं ऋण लेने के बाद ऋण खाते में मूल या ब्याज के विरुद्ध कोई राशि जमा नहीं कराने वाले ऋणियों को इस योजना में लाभ देय नहीं होगा।

श्री मीणा ने बताया कि समझौता योजना का लाभ पाने वाले इच्छुक को बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा कराकर आवेदन करना होगा। ऐसे ऋणी सदस्यों से 31 दिसम्बर, 2003 को बकाया समस्त मूलधन, साधारण ब्याज, दण्डनीय ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अन्य व्यय की शतप्रतिशत वसूली की जाएगी। 1 जनवरी, 04 से बाद संपूर्ण राशि जमा होने तक की राशि पर केवल 12 प्रतिशत या स्वीकृत ऋण पत्र की ब्याज दर जो भी कम हो, से साधारण दर से राशि वसूल की जाएगी। इसी तरह से 31 दिसम्बर, 2003 के बाद में वित्त पोषित ऋणों पर संदिग्ध या अशौध्य श्रेणी में वर्गीकृत होने वाले ऋणों पर भी साधारण ब्याज से वसूली की जा सकेगी। समझौता योजना में आवेदन के समय जमा कराए जाने वाली 25 प्रतिशत राशि के बाद शेष रही राशि को एकमुश्त या समान त्रैमासिक किश्तों में जमा कराने की छूट होगी। समझौते के लिए प्राप्त आवेदनों पर संबंधित बैंक के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में निर्णय किया जाएगा।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने बताया कि समझौता योजना में मृत ऋणी सदस्यों को भी राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऋणी जिनकी 1 जनवरी, 04 से पूर्व मृत्यु हो चुकी है, उनके खाते में 31.12.03 तक बकाया राशि वसूली योग्य होगी व इसके बाद से समझौता दिनांक तक ब्याज, दण्डनीय ब्याज आदि नहीं वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना को संचालक मण्डल में अनुमोदित कराकर सहकारी भूमि विकास बैंक अंगीकार कर सकेंगे।

सहकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण कीटर्न आधार पर सरकारी मिनी नवरत्न "रील" के माध्यम से

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा ने बताया कि सहकारी बैंकों का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का कार्य कीटर्न आधार पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम मिनी नवरत्न प्रतिष्ठान राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंशन लि. के माध्यम से करवाया जा रहा है।

श्री मीणा ने बताया कि वर्ष 2009-10 में राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 300 शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण की बजट घोषणा की गई थी। बजट घोषणा की क्रियान्विति और सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग के लिए पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना को पूरी पारदर्शिता से कराने के लिए सरकारी संयुक्त उपक्रम रील से सलाहकार के स्थान पर कीटर्न आधार पर कार्य कराने का निर्णय लिया गया, ताकि कम्प्यूटरीकरण का सारा काम स्तरीय व एक ही प्रतिष्ठान के माध्यम से हो सके। बजट घोषणा की क्रियान्विति में रील को बैंक शाखाओं के लिए हार्डवेयर उपलब्ध कराने का आदेश देते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित डीजीएसएण्डडी और निक्सी द्वारा निर्धारित दरों से भी कम दर पर प्रतिष्ठित उत्पादक कम्पनी से कम्प्यूटर हार्डवेयर खरीदने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि इसी का परिणाम रहा कि रील ने डीजीएसएण्डडी एवं निक्सी से भी कम दरों पर विप्रो कम्पनी के कम्प्यूटर सीधे उत्पादक कम्पनी से 2 करोड़ 72 लाख 66 हजार 751 रुपए में सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराए। श्री मीणा ने बताया कि सहकारी बैंकों की शाखाओं के लिए खरीदे गए कम्प्यूटरों पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है और बैंक के कार्मिक

कम्प्यूटर का उपयोग करते हुए आवश्यक कार्य कर रहे हैं।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री मीणा ने बताया कि कीटर्न आधार पर रील से सहकारी बैंकों के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लेते हुए सहकारी बैंकों के लिए हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर का निर्माण, इन्स्टालेशन, रखरखाव, कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक सभी कार्य रील को दिए गए हैं। संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण में स्तरीयता व पारदर्शिता बनाने के लिए रील को सलाहकार नहीं बनाकर कीटर्न आधार पर आदेश दिए गए हैं। सरकार का संयुक्त उपक्रम होने के बावजूद रील द्वारा आवश्यक पूर्तियां करते हुए सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई और 15 जून को आमंत्रित निविदा की अंतिम तिथि, जो पूर्व में 29 जून रखी गई थी, उसे बढ़ाकर 12 जुलाई करते हुए नियमानुसार चार सप्ताह का समय दिया गया। उन्होंने बताया कि रील द्वारा बैंकिंग सेक्टर के महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी कम्प्यूटरीकरण के कार्य को देखते हुए सीएमएम लेवल 5 के मानकों वाली कम्पनियों से प्रस्ताव मांगे, जिसमें टीसीएस, विप्रो, एससीएल, एनआईआईटी जैसी प्रतिष्ठित 9 कम्पनियों ने निविदा फार्म प्राप्त किए। देश में सीएमएम लेवल 5 के मानकों की कुल 58 साफ्टवेयर कम्पनियां होने से सहकारी बैंकों में प्रतिस्पर्धा में अच्छा स्तरीय मानक का साफ्टवेयर तैयार हो सकेगा। सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग व भविष्य में एटीएम जैसी सुविधाएं आरंभ हो सकेगी।

श्री मीणा ने बताया कि साफ्टवेयर तैयार होने के बाद सहकारी बैंकों को सामान्य आवश्यकता का हार्डवेयर उपलब्ध कराना हास्यास्पद होता। बजट घोषणा के क्रियान्वयन में सहकारी बैंकों को हार्डवेयर उपलब्ध कराने से सहकारी बैंकों के कार्मिकों को उपलब्ध साफ्टवेयर के आधार पर कम्प्यूटर पर काम करने का अनुभव प्राप्त होने लगा है। इसके साथ ही साफ्टवेयर तैयार होने पर आवश्यक हार्डवेयर के साथ ही इस हार्डवेयर का उपयोग भी हो सकेगा और तब तक कार्मिक कम्प्यूटर पर कार्य करने के अभ्यस्त भी हो सकेंगे।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री मीणा ने बताया कि जिस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज्य पुल निगम आदि से निविदा के काम करवाया जा सकता है, इसी तरह से सरकारी प्रतिष्ठान रील से कम्प्यूटरीकरण व साफ्टवेयर आदि का कार्य करवाया जा सकता है। रील के माध्यम से काम करवाने से इस कार्य में जिन लोगों के अनावश्यक हित जुड़े थे, उस पर भी रोक लगी है।

सहकारिता मंत्री ने दिखाई हरी झण्डी

सहकारी जनप्रतिनिधि का दल महाराष्ट्र और गुजरात की सहकारी संस्थाओं के अध्ययन के लिए रवाना

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सिविल लाईन्स स्थित अपने निवास से सहकारी जनप्रतिनिधियों के अध्ययन दल को हरी झण्डी दिखाकर महाराष्ट्र और गुजरात के दौरे पर रवाना किया अध्ययन दल के दौरे का आयोजन समग्र सहकारी विकास परियोजना दौसा द्वारा किया गया है।

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने राज्य में चल रही सभी समग्र सहकारी विकास परियोजना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे काश्तकारों व सहकारी जनप्रतिनिधियों के दलों को अन्य प्रदेशों में चल रहे सहकारी आंदोलन से रुबरु करावें। उन्होंने कहा कि अध्ययन दौरों से प्रदेश के सहकारी जनप्रतिनिधियों को अन्य प्रदेशों में सहकारी क्षेत्र में किए जा रहे प्रमुख कार्यों, नवाचारों को नजदीक से देखने, समझने और फिर इसे प्रदेश में क्रियान्वित करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सहकारी आंदोलन को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सहकारी संस्थाओं के निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण बनाने के साथ ही समयबद्ध चुनावों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर की प्रमुख सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपने के साथ ही अधिकार संपन्न बनाया है। अब सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल को और अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही चुने हुए संचालकों का भी दायित्व बढ़ गया है।

समग्र सहकारी विकास परियोजना दौसा के महाप्रबन्धक श्री हरकीरत सिंह ने बताया कि 25 सदस्यीय अध्ययन दल में जिले के सहकारी संस्थाओं के सदस्य व पदाधिकारीगण है। उन्होंने बताया कि दल महाराष्ट्र के नासिक व गुजरात के आनंद में खासतौर से अध्ययन करेगा।

इस अवसर पर मोनेटरिंग अधिकारी आईसीडीपी श्री रामजी लाल सोनी, दौसा सीसीबी के प्रबंध संचालक श्री रामसहाय मीणा भी उपस्थित थे।

जो सरकार की, वही मेरी प्राथमिकताएं- मुख्य सचिव

राज्य के नए मुख्य सचिव श्री सलाउद्दीन अहमद ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकताएं हैं।

निवर्तमान मुख्य सचिव श्री टी. श्रीनिवासन से कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि कहा कि वे सरकार का ही एक अंग है। भ्रष्टाचार के खात्मे के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशासन को जिस हद तक भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है, किया जाएगा।

श्री अहमद ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि भ्रष्टाचारी को सजा मिले और सिस्टम को सुधारा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी स्थिति नहीं रहे कि किसी भी व्यक्ति का अपना काम बिचौलियों से कराना पड़े।

मुख्य सचिव श्री अहमद ने विधान सभा सवालों का जवाब समय पर दिए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

स्वतंत्रता दिवस पर अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री सुरेन्द्र सिंह को सम्मानित करते हुए पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक।

स्वतंत्रता दिवस पर हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक श्री उत्तम सिंह तोषावड़ा को सम्मानित किया गया।

स्वामी, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी, राजस्थान, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री प्रेम सिंह मेहरा नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, भवानी सिंह रोड़, जयपुर से प्रकाशित एवं मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जी-1/138 इंडस्ट्रियल एरिया मालवीय नगर, जयपुर से मुद्रित ●सम्पादक : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा।